प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति

रिट याचिका (227) क्रमांक 5411/2011

याचिकाकर्ता	शिफा नाथ
	बनाम
उत्तरवादीगण	छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (227) क्रमांक 5412/2011

याचिकाकर्ता	शिफा नाथ
	बनाम
उत्तरवादीगण	छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

उपस्थिति-

श्री राजीव श्रीवास्तव एवं मलय श्रीवास्तव, अधिवक्ता याचिकाकर्ता की ओर से ।
श्री अजय द्विवेदी, उप शासकीय अधिवक्ता, राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से ।
श्री सुभाष यादव, अधिवक्ता उत्तरवादी क्रमांक 3 की ओर से ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मौखिक आदेश

(11.04.2012**)**

1. उपर्युक्त दोनों रिट याचिकाओं का निराकरण इस उभयनिष्ठ आदेश द्वारा किया जाता है क्योंकि वे एक ही निर्वाचन से उद्भूत हैं, यद्यपि उनसे पृथक निर्वाचन याचिकाएं संस्थित की गई हैं।

2. दिनांक 28.01.2010 को संपन्न निर्वाचन में, याचिकाकर्ता को ग्राम पंचायत कस्तूरी, तहसील जगदलपुर, जिला बस्तर के सरपंच के रूप में निर्वाचित किया गया था। उत्तरवादी क्रमांक 2 कुंडोमणी और उत्तरवादी क्रमांक 3 कृष्णा कुमारी ने याचिकाकर्ता के निर्वाचन को चुनौती देने हेतु निर्वाचन अधिकरण के समक्ष दो पृथक निर्वाचन याचिकाएं प्रस्तुत कीं। निर्वाचन याचिका के विचारण के दौरान, निर्वाचन अधिकरण ने दिनांक 29.10.2011 को मतों की पुनर्गणना का निर्देश दिया। उक्त आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 6715/2010 एवं रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 6716/2010 प्रस्तुत कर चुनौती दी गई थी, जिन्हें आदेश दिनांक 23 नवंबर, 2010 (अनुलग्नक पी-8) द्वारा इस आधार पर स्वीकार किया गया कि निर्वाचन अधिकरण को पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक विरचित किए बिना पुनर्गणना का आदेश नहीं देना चाहिए था।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा पूर्ववर्ती रिट याचिका में दिए गए निर्णय के पश्चात, निर्वाचन अधिकरण के लिए यह अपेक्षित था कि वह विवाद्यक विरचित करे और तत्पश्चात विधि द्वारा अपेक्षित रीति से पक्षकारों को सूचना पत्र तामील करने के बाद उनका साक्ष्य अभिलिखित करने की कार्यवाही करे, किंतु याचिकाकर्ता पर कोई सूचना पत्र तामील नहीं

किया गया और याचिकाकर्ता के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। उनका यह निवेदन है कि जिस रीति से निर्वाचन अधिकरण ने विचारण की कार्यवाही की, वह पूर्णतः अवैध है और विधि में विहित प्रक्रिया के प्रतिकूल है, अतः आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

4. दूसरी ओर, विद्वान शासकीय अधिवक्ता और साथ ही निर्वाचन याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि पूर्ववर्ती रिट याचिका का निर्णय पक्षकारों की उपस्थिति में किया गया था, अतः अधिकरण के लिए पक्षकारों को पुनः आहूत करना अपेक्षित नहीं था और किसी भी स्थिति में, कार्यवाही की जानकारी होने के कारण याचिकाकर्ता को समय व्यर्थ करने और कार्यवाहियों को चलते रहने देने के बजाय निर्वाचन अधिकरण के समक्ष उपस्थित रहना चाहिए था।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और अभिलेख का परिशीलन किया है।

6. रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 6715/2010 एवं रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 6716/2010 में पारित पूर्व आदेश को निर्वाचन याचिकाकर्ता कुंडोमणी द्वारा दिनांक 06.12.2010 को निर्वाचन अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और तत्पश्चात, निर्वाचन अधिकरण ने पक्षकारों को आहूत करने का निर्देश दिया। निर्वाचन अधिकरण के समक्ष हुई कार्यवाही की संपूर्ण आदेश पत्रिकाएं रिट याचिका के साथ प्रस्तुत की गई हैं, जिनके परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि दिनांक 13.12.2010 को अभिलिखित आदेश पत्रिका के अनुसार सूचना पत्र की तामील नहीं हुई थी। विभिन्न तिथियों की आदेश पत्रिकाएं यह अभिलिखित करती हैं कि पक्षकार उपस्थित नहीं हैं और उन्हें आहूत किया जाए। दिनांक 27.06.2011 को, निर्वाचन अधिकरण ने पुनः सूचना पत्र जारी करने का निर्देश दिया। दिनांक 27.6.2011 और 15.07.2011 की आदेश पत्रिका में भी यह उल्लेखित है कि अनावेदकों को आहूत किया जाए। तथापि, सुनवाई की अगली तिथि अर्थात 22.07.2011 को, निर्वाचन याचिकाकर्ता ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 नियम 4 के अधीन शपथ पत्र प्रस्तुत किया और अधिकरण ने पुनः अनावेदक क्रमांक 1, 3, 4 एवं 5 को आहूत करने का निर्देश दिया। दिनांक 08.08.2011 को निर्वाचन याचिकाकर्ता तथा अनावेदक क्रमांक 4 एवं 5 उपस्थित थे और प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रकरण दिनांक 12.8.2011 के लिए नियत किया गया और तत्पश्चात दिनांक 19.8.2011 को तर्कों हेतु नियत किया गया और प्रकरण आदेश हेतु बंद कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. उपर्युक्त उल्लेखित निर्वाचन अधिकरण की आदेश पत्रिकाओं को पढ़ने और उनकी परीक्षा करने से, यह प्रतीत होता है कि निर्वाचन अधिकरण ने पूर्व में मतों की पुनर्गणना करने के पश्चात निर्वाचन याचिका का निर्णय कर दिया था और उक्त आदेश को इस न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया गया था और प्रकरण को विवाद्यक विरचित करने और साक्षियों का परीक्षण करने के पश्चात विधि के अनुसार नए सिरे से निर्वाचन याचिका का विनिश्चय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था. जब अधिकरण को विधि के अनुसार निर्वाचन याचिका का विनिश्चय करने का निर्देश दिया गया था, तो इसका अर्थ यह था कि निर्वाचन याचिका के सभी पक्षकारों को आहूत करके और विधि में मान्य रीति से उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करके, अधिकरण को न केवल विवाद्यक विरचित करना अपेक्षित था अपितु साक्षियों का परीक्षण करना भी अपेक्षित था, जो केवल तभी संभव हो सकता था जब याचिकाकर्ता, जो सरपंच के रूप में निर्वाचित हुआ था, सहित अन्य पक्षकारों को निर्वाचन याचिका का सूचना पत्र तामील किया गया हो. याचिकाकर्ता को भेजे गए सूचना पत्रों

की प्रतियां अनुलग्नक पी-11 के रूप में अभिलेख पर रखी गई हैं, जिसमें आदेशिका वाहक ने यह पृष्ठांकन किया है कि याचिकाकर्ता ने ग्राम कोटवार की उपस्थिति में सूचना पत्र लेने से इंकार कर दिया. यह सूचना पत्र दिनांक 08.08.2011 की सुनवाई के लिए था. आदेशिका वाहक के पृष्ठांकन में टिप्पणी की कोई तिथि उल्लेखित नहीं है. दिनांक 08.08.2011 को अभिलिखित निर्वाचन अधिकरण की आदेश पत्रिका से यह प्रतीत नहीं होता है कि अधिकरण ने सूचना पत्र की तामील के संबंध में कोई समाधान अभिलिखित किया. उक्त आदेश पत्रिका नीचे पुनरुत्पादित है:

> "निर्वाचन याचिकाकर्ता अपने अधिवक्ता सुधीर पांडेय के साथ उपस्थित।
>
> अनावेदक क्रमांक 4 एवं 5 उपस्थित।
>
> अनावेदक क्रमांक 4 एवं 5 के कथन अभिलिखित किए गए।
>
> अनावेदक क्रमांक 1 अनुपस्थित है।
>
> अनावेदक क्रमांक 3 को आहूत किया गया। उपस्थित नहीं। एकपक्षीय कार्यवाही की गई।"

सुनवाई की किसी भी पूर्ववर्ती तिथि पर, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 नियम 4 के अधीन शपथ पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात निर्वाचन याचिकाकर्ता की प्रतिपरीक्षा नहीं की गई थी. वास्तव में, दिनांक 22.07.2011 से पूर्व, जब निर्वाचन याचिकाकर्ता ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 नियम 4 के अधीन शपथ पत्र प्रस्तुत किया था, प्रकरण साक्ष्य अभिलिखित करने हेतु कभी नियत नहीं किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. **लॉन्ग लाइफ कार्पेट इंडस्ट्रीज, गहरपुर और अन्य बनाम श्रीमती केसर जहां, ए.आई.आर. 1988 इलाहाबाद 55** के प्रकरण में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय रूप से खारिज किए गए वाद के पुनस्थापित करने के पश्चात, उसे न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए नियत तिथि की सूचना दी जानी चाहिए और जब तक ऐसी सूचना नहीं दी जाती, यह व्यावहारिक रूप से उसे सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना डिक्री पारित करने की कोटि में आएगा।

9. छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 119 के साथ पठित धारा 95 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूचना की तामील के संबंध में नियम विरचित किए गए हैं जिन्हें **छत्तीसगढ़ पंचायत (सूचना और दस्तावेज की तामील की रीति) नियम, 1995** (इसमें इसके पश्चात् "नियम 1995" के रूप में निर्दिष्ट) के नाम से जाना जाता है। अधिनियम की धारा 119 यह उपबंध करती है कि जब तक कि इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित न हो, इस अधिनियम के अधीन या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, उपविधि या आदेश के अधीन किसी सूचना या अन्य दस्तावेजों की तामील विहित रीति से की जाएगी और यह रीति नियम (पूर्वोक्त) बनाकर विहित की गई है। उक्त नियम 1995 में, अधिनियम के अधीन किसी सूचना या अन्य दस्तावेज की तामील के संबंध में नियम 3 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किया गया है। नियम 3 निम्न प्रकार है:

> **"3.** अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अधिनियम के अधीन या किसी नियम, उपविधि या आदेश के अधीन किसी सूचना या अन्य

दस्तावेज की तामील, किसी ऐसे व्यक्ति पर जिसे वह नाम से संबोधित है, निम्न प्रकार से की जाएगी-

(क) उक्त सूचना या दस्तावेज ऐसे व्यक्ति को देकर या निविदत्त करके;अथवा

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है, तो उसे उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य या सेवक को देकर या निविदत्त करके; अथवा

(ग) उसे डाक प्रमाण पत्र के अधीन डाक द्वारा भेजकर; अथवा

(घ) यदि ऐसा व्यक्ति पंचायत की अधिकारिता में निवास नहीं करता है और उसका अन्यत्र पता ऐसी सूचना या दस्तावेज जारी करने का निदेश देने वाले अधिकारी को ज्ञात है, तो उसे पावती सहित रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजकर:

परंतु यदि ऐसी सूचना या दस्तावेज जारी करने का निदेश देने वाले अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि वह संबोधिती सूचना या दस्तावेज से बच रहा है और सूचना या दस्तावेज की तामील ऊपर वर्णित तरीकों से नहीं की जा सकती है, तो उक्त अधिकारी ऐसी सूचना या दस्तावेज की तामील, उसके निवास या कारोबार के अंतिम ज्ञात स्थान के किसी सहजदृश्य भाग पर उसकी एक प्रति चस्पां करके करवाएगा और ऐसी तामील उतनी ही प्रभावी होगी मानो वह व्यक्तिगत रूप से संबंधित व्यक्तियों पर की गई हो।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपर्युक्त उद्धृत नियम 3 के सामान्य पठन पर, यह प्रतीत होता है कि सूचना पत्र की तामील संबंधित व्यक्ति को उक्त सूचना पत्र या दस्तावेज देकर या निविदत्त करके की जानी होती है और जहां ऐसी सूचना या दस्तावेज जारी करने का निदेश देने वाले अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि संबोधित व्यक्ति सूचना या दस्तावेज से बच रहा है और सूचना या दस्तावेज की तामील ऊपर वर्णित रीतियों से नहीं की जा सकती, तो उक्त अधिकारी ऐसी सूचना या दस्तावेज की तामील, उसकी एक प्रति संबंधित व्यक्ति के निवास या कारबार के अंतिम ज्ञात स्थान के किसी सहजदृश्य भाग पर चस्पा करवाकर कराएगा और तामील उतनी ही प्रभावी होगी मानो वह संबोधित व्यक्ति पर व्यक्तिगत रूप से की गई हो।

10. **सुशील कुमार सभरवाल बनाम गुरप्रीत सिंह और अन्य ए.आई.आर. 2002 एस.सी 2370** के प्रकरण में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब प्रतिवादी ने कथित रूप से सूचना स्वीकार करने से इनकार कर दिया हो और आदेशिका वाहक ने न तो प्रश्नगत परिसर की दीवार पर समन और वादपत्र की प्रति चस्पां की हो और न ही समन के निविदान, उसके इनकार, और दीवार पर चस्पा करने की कार्यवाही को प्रतिवादी की पहचान करने वाले व्यक्तियों द्वारा साक्षीकृत कराया हो, तो यह समन की तामील न होना माना जाएगा।

सुशील कुमार साहा बनाम जुरान चंद्र साहा, ए.आई.आर. 1993 गौहाटी 48 के प्रकरण में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब समन की तामील चस्पा करके की गई कथित हो, किंतु तामील

करने वाले अधिकारी की विवरणी न तो शपथ पत्र द्वारा सत्यापित हो और न ही उस अधिकारी की परीक्षा की गई हो, तो पक्षकार के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही नहीं की जा सकती।

11. वर्तमान प्रकरण में, जब याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर सूचना पत्र लेने से इंकार कर दिया तो पीठासीन अधिकारी के लिए यह बाध्यता था कि वह अपना समाधान अभिलिखित करता कि आदेशिका वाहक द्वारा किया गया पृष्ठांकन सही रूप में अभिलिखित है और पीठासीन अधिकारी को तत्पश्चात आदेश पत्रिका में यह निष्कर्ष निकालने के लिए समाधान अभिलिखित करना चाहिए था कि वह उक्त इंकार को याचिकाकर्ता पर सूचना पत्र की प्रभावी तामील मान रहा है। तथापि, सूचना पत्र की तामील के विषय में कुछ भी उल्लेख किए बिना या उस विषय के लिए इस तथ्य को भी अभिलिखित किए बिना कि याचिकाकर्ता ने सूचना पत्र लेने से इंकार किया है, अधिकरण ने एकपक्षीय कार्यवाही की और तत्पश्चात याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में साक्षियों का परीक्षण किया और पुनः अंतिम आदेश पारित कर दिया। जिस रीति से निर्वाचन अधिकरण द्वारा निर्वाचन याचिका का विचारण किया गया है वह 'सूचना और दस्तावेज की तामील की रीति नियम, 1995' के नियम 3 के प्रतिकूल है और चूंकि इस न्यायालय द्वारा प्रकरण को प्रतिप्रेषित किए जाने के पश्चात, विवाद्यक विरचित करने के बाद साक्षियों का परीक्षण करने हेतु याचिकाकर्ता को नए सिरे से सूचना दी जानी अपेक्षित थी, अतः संपूर्ण विचारण और निर्वाचन याचिका दूषित हो गई है।

12. उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए, दोनों रिट याचिकाएं केवल इसी आधार पर सफल होती हैं और मंजूर की जाती हैं। दिनांक 26.08.2011 और 03.09.2011 के आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाते हैं। प्रकरण निर्वाचन अर्जी के सभी पक्षकारों को सूचना देने और उन्हें अपने साक्षी प्रस्तुत करने की अनुमति देने के पश्चात् नए सिरे से विनिश्चय करने के लिए पुनः निर्वाचन अधिकरण को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
पी.के. मिश्रा
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Bhumesh Bharti